



उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Transmission Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

कारपोरेट टैक्स (जी०एस०टी० सैल) Corporate Tax (GST CELL)
CIN: U40101UP2004SGC028687

द्वितीय तल, शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001, रैक्स- 8270, 8257
IInd Floor, Shakti Bhawan Ext., 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, E-mail - dgmtaxuppcl@gmail.com

पत्र सं०: 02/उ०म०प्र०(टैक्स)/जी०एस०टी० सैल/2017-18

दिनांक: 25.07.2017

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०

मुख्य अभियन्ता (डी०एण्डपी०)/765के०वी०/
सी० एण्ड सी०/सी०एम०यू०टी०/जानपद (i)/(ii)
पारेषण मध्य/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण
उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०
लखनऊ/इलाहाबाद/मेरठ/आगरा

विषय:- जी०एस०टी० से सम्बन्धित दिशा-निर्देश

जी०एस०टी० के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशानिर्देश अनुपालन हेतु जारी किये जाते हैं :-

1. GST Return

जैसा कि 10.07.2017 को निर्गत किये गये दिशा-निर्देशों में उल्लिखित है, निगम को प्रतिमाह 3 रिटर्न दाखिल करने हैं :-

फार्म सं०	विवरण	अन्तिम तिथि
GSTR-1	बिक्री एवं दी जाने वाली सेवाओं का विवरण (Particulars of Outward Supply)	अगले माह की 10 तारीख तक
GSTR-2	क्रय एवं ली जाने वाली सेवाओं का विवरण (Particulars of Inward Supply)	अगले माह की 15 तारीख तक
GSTR-3	मासिक रिटर्न (Monthly Return)	अगले माह की 20 तारीख तक

वर्तमान में सरकार ने नई टैक्स प्रणाली की जटिलताओं के मद्देनजर एवं व्यापारियों की सहूलियत को ध्यान रखते हुए दो महीने (जुलाई एवं अगस्त 2017) के लिए उक्त रिटर्न बाद में भरने की सुविधा प्रदान की है एवं उक्त 3 रिटर्न के स्थान पर एक अस्थायी रिटर्न भरना होगा। इस रिटर्न में निगम की महीने भर की क्रय-विक्रय आदि का विवरण संक्षेप में Form GSTR-3B में अगले माह की 20 तारीख तक जमा कराना है।

अतः खण्डों/इकाईयों को निर्देशित किया जाता है कि Form GSTR-3B भरने हेतु निर्धारित सूचनाएँ जो कि Annexure-A में संलग्न हैं, सम्बन्धित परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय को प्रेषित करेंगे। परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय अपनी सभी इकाईयों द्वारा भेजी गई सूचनाओं को संकलित कर, मुख्यालय स्थित जी०एस०टी० सैल में अगले माह की 15 तारीख तक प्रेषित करेंगे।

ध्यान रहे Form GSTR-3B की व्यवस्था अस्थायी व्यवस्था है जिसमें केवल जुलाई 2017 एवं अगस्त 2017 के माह में की गयी क्रय-विक्रय का संक्षेप में ब्यौरा देना है। जुलाई 2017 एवं अगस्त 2017 माह के सम्पूर्ण रिटर्न (Form GSTR-1, Form GSTR-2, Form GSTR-3) September माह में भरे जायेंगे। जिसकी अन्तिम तिथि नीचे दी गयी तालिका में है।

GST Return	July		Last Date to submit information by units to ZAO	Last Date to submit information by ZAO to GST Cell
	Last date of Filing Earlier	Last date of Filing Now		
GSTR-1	10 th August	5 th September	20 th August	30 th August
GSTR-2	15 th August	10 th September		
GSTR-3	20 th August	15 th September		
GSTR-3B	NA	20 th August	10 th August	16 th August
GST Return	August			
	Earlier	Now		
GSTR-1	10 th September	20 th September	5 th September	10 th September
GSTR-2	15 th September	25 th September		
GSTR-3	20 th September	30 th September		
GSTR-3B	NA	20 th September	10 th September	15 th September
GST Return	September			
	Earlier	Now		
GSTR-1	10 th October	10 th October	3 rd October	5 th October
GSTR-2	15 th October	15 th October		
GSTR-3	20 th October	20 th October		
GSTR-3B	NA	NA	NA	NA

नियमित मासिक रिटर्न (Form GSTR-1, Form GSTR-2, Form GSTR-3) भरने के लिये इकाईयों द्वारा विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रारूप वेबसाइट पर Excel Format में जल्द ही उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

2. Invoice/Debit Note/Credit Note :-

जी0एस0टी0 सैल द्वारा निर्गत किये गये दिशा-निर्देशों (दिनांक 10.07.2017) में Invoice एवं Bill of Supply से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं का भी अनुपालन करना है -

a) Invoice जारी करने की समय-सीमा :-

- वस्तुओं के विक्रय पर :- माल के हटाने पर या उससे पहले (Before or at the time of removal of goods)
- सेवाओं के प्रदान पर :- सेवा समाप्ति के 30 दिन के अन्दर

b) वस्तुओं के विक्रय पर Invoice तीन प्रतिलिपि में जारी करना है :-

- Original प्रतिलिपि क्रेता के लिए
- Duplicate प्रतिलिपि माल वाहक (ट्रान्सपोर्टर) के लिए
- Triplicate प्रतिलिपि स्वयं के लिए (Office Copy)

c) सेवाओं के विक्रय पर Invoice दो प्रतिलिपि में जारी करना है :-

- Original प्रतिलिपि क्रेता के लिए
- Duplicate प्रतिलिपि स्वयं के लिए (Office Copy)

d) CGST Act के Section 33 के अनुसार Tax Invoice जारी करते समय Tax की राशि को पृथक करके दर्शाना आवश्यक है। अर्थात् कोई भी Invoice Inclusive of Tax नहीं बनाना है।

e) ज्ञात हो कि एक बार Tax Invoice जारी होने के पश्चात् उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए विक्रेता/सेवा प्रदाता को Credit Note अथवा Debit Note जारी करना होगा।

f) **Credit Note :-**

- ऐसी परिस्थितियां जहां वस्तु एवं सेवा की राशि अथवा Tax की राशि में कटौती होनी है, उन परिस्थितियों में विक्रेता/सेवा प्रदाता द्वारा क्रेडिट नोट क्रेता/सेवा प्राप्तकर्ता को जारी किया जायेगा।
- उदाहरण के तौर पर विक्रेता द्वारा कम अथवा गलत माल भेजना, क्रेता द्वारा माल का वापस कर देना इत्यादि।
- क्रेडिट नोट जारी करने की समय-सीमा-
 - जिस वित्तीय वर्ष में Supply की गयी हो उसके अगले वित्तीय वर्ष की 30 सितम्बर या
 - वार्षिक रिटर्न भरने की तिथिमें से जो पहले हो, तब तक क्रेडिट नोट जारी किया जा सकता है।
- क्रेडिट नोट जिस माह में जारी किया गया है, उस माह के मासिक रिटर्न में क्रेडिट नोट का ब्योरा देना है।

g) **Debit Note :-**

- ऐसी परिस्थितियां जहां वस्तु एवं सेवा की राशि अथवा Tax की राशि में बढ़ोत्तरी होनी है, उन परिस्थितियों में विक्रेता/सेवा प्रदाता द्वारा डेबिट नोट क्रेता/सेवा प्राप्तकर्ता को जारी किया जायेगा।
- डेबिट नोट जारी करने की कोई समय-सीमा नहीं है।
- डेबिट नोट जिस माह में जारी किया गया है, उस माह के मासिक रिटर्न में डेबिट नोट का ब्योरा देना है।

- अगर विक्रेता द्वारा क्रेता से देरी से भुगतान करने के कारण किसी प्रकार की Interest, Penalty अथवा Late Fees ली जाती है तो उस Interest, Penalty एवं Late Fees को कर-योग्य राशि में जोड़ा जायेगा एवं उस पर जी0एस0टी0 लागू एवं देय होगा। ऐसी दशा में विक्रेता द्वारा क्रेता को डेबिट नोट जारी किया जायेगा।
- क्रेडिट नोट एवं डेबिट नोट के प्रारूप Annexure B.1 & B.2 में संलग्न है।

3. Time of Supply :-

CGST Act के Section 12 & 13 में Time of Supply के नियम दिये गये हैं, जिससे ये निर्धारित किया जा सकता है कि किसी Supply के सन्दर्भ में Tax किस माह में जमा करना है एवं किस माह के रिटर्न में उस Supply को दर्शाना है। Time of Supply के नियम संक्षेप में इस प्रकार हैं:-

Nature of Transaction	Event A	Event B	Event C	Time of Supply
Supply of Goods	Issue of tax invoice	Receipt of payment (even advance payment received)		Whichever is earlier
Tax on receipt of goods payable on reverse charge basis	Receipt of goods	Date of payment to recipient (even advance payment made)	30 days from date of invoice of supplier	Whichever is earlier
Supply of service	Invoice if issued within prescribed time (30 days)	Provision of service if Invoice not issued within prescribed time	Date of receipt of payment from recipient (even advance payment received)	Whichever is earlier
Tax on receipt of service payable under reverse charge	Date of payment to supplier of service	60 days from date of invoice of supplier		Whichever is earlier
Receipt of Interest, late fee or penalty for late payment [common provision for goods and services]	Issue of demand or debit note to recipient of goods or services	Receipt of payment from recipient of goods or services		Receipt of payment from recipient of goods or services

4. Receipt Voucher & Refund Voucher :-

जैसा कि उक्त "Time of Supply" नियमों में वर्णित है कि किसी वस्तु एवं सेवा की बिक्री के सन्दर्भ में ली जाने वाली अग्रिम राशि भी जी0एस0टी0 के दायरे में आती है। अगर विक्रेता द्वारा कर-योग्य अथवा सेवा के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अग्रिम लिया जाता है, उस परिस्थिति में विक्रेता को "Receipt Voucher" जारी करना होगा।

अग्रिम लेने के पश्चात् अगर विक्रेता द्वारा कर-योग्य माल एवं सेवा Supply नहीं की जाती है एवं Tax Invoice जारी नहीं किया जाता उस दशा में विक्रेता को "Refund Voucher" क्रेता को जारी करना होगा।

इकाईयाँ/खण्ड सुनिश्चित करेंगे कि जारी किया जाने वाला Receipt Voucher & Refund Voucher क्रमवार क्रमांकित हो। Receipt Voucher & Refund Voucher का प्रारूप Annexure C.1 एवं C.2 में संलग्न है।

5. Reverse Charge Mechanism (RCM) :-

RCM से सम्बन्धित दिनांक 10.07.2017 को निर्गत किये गये दिशा-निर्देश के अतिरिक्त निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन करना है :-

- सरकार एवं Local Authorities को भुगतान :-
जी0एस0टी0 के Notification No. 13/2017-CT(Rate) दिनांक 28.01.2017 के अनुसार सरकार एवं Local Authorities द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं पर RCM के तहत कर जमा करने एवं रिटर्न दाखिल करने का दायित्व सेवा प्राप्तकर्ता पर होगा।

ज्ञात हो कि RCM केवल सेवा के भुगतान पर लागू है। अर्थात् सरकार एवं Local Authorities को किसी भी प्रकार का भुगतान Tax, Cess & Levy के रूप में दिया जाता है, तो जी0एस0टी0 लागू नहीं होगा।

- RCM में किये भुगतानों के लिये दो प्रकार के Documents बनेंगे :-

(1) Purchase Voucher (2) Payment Voucher

Purchase Voucher एवं Payment Voucher के प्रारूप Annexure D.1 एवं D.2 में संलग्न है।

6. Input Tax Credit (ITC) :-

CGST Act 2017 की धारा 16 के अनुसार किसी भी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा की गई कर-योग्य खरीदारियों/सेवाओं (Taxable Input Supply) पर भुगतान किया गया जी0एस0टी0 इन्पुट टैक्स क्रेडिट के रूप में उपलब्ध होगा। Reverse Charge Mechanism के अन्तर्गत भुगतान किया गया जी0एस0टी0 एवं वस्तुओं/सेवाओं के आयात (Import of Goods and Services) पर भुगतान किया गया आई0जी0एस0टी0 भी इन्पुट टैक्स क्रेडिट के रूप में उपलब्ध होगा।

इस इन्पुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को कर-योग्य वाह्य आपूर्ति (Taxable Outward Supply) पर कर-देयता के विरुद्ध सैट-ऑफ किया जा सकेगा।

उपलब्ध इन्पुट टैक्स क्रेडिट निम्नलिखित 04 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा:-

a) Credit directly attributable towards exempt supplies :-

चूंकि निगम का मुख्य कार्य (बिजली-पारेषण एवं वितरण) जी0एस0टी0 से कर-मुक्त है इसीलिए वे खरीदारियाँ/सेवाएं जो विशेषकर बिजली पारेषण एवं वितरण से सम्बन्धित हैं, उन खरीदारियों/सेवाओं पर भुगतान किया गया जी0एस0टी0 आई0टी0सी0 के रूप में उपलब्ध नहीं होगा।

b) Credit directly attributable towards taxable supplies :-

निगम द्वारा की गयी खरीदारियाँ/सेवाएं जो कि विशेषकर कर-योग्य वाह्य आपूर्ति (Taxable Outward Supply) से सम्बन्धित हैं, उन खरीदारियों/सेवाओं पर भुगतान किया गया जी0एस0टी0 आई0टी0सी0 (ITC) के रूप में उपलब्ध होगा एवं कर-योग्य वाह्य आपूर्ति पर देय जी0एस0टी0 के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है।

c) Common Credit :-

ऐसी खरीदारियाँ/सेवाएं जो कि कर-योग्य एवं कर-मुक्त वाह्य आपूर्ति दोनों के लिए सामान्य हैं, (जैसे-स्टेशनरी, ऑडिटर फीस, टेलीफोन व्यय इत्यादि) उन खरीदारियों/सेवाओं पर भुगतान किया गया जी0एस0टी0 कॉमन क्रेडिट की श्रेणी में आता है एवं इसका आई0टी0सी0 कर-योग्य कुल बिक्री के अनुपात में उपलब्ध होगा।

d) Ineligible ITC :-

CGST Act 2017 की धारा 17 के अनुसार निम्नलिखित वस्तुओं/सेवाओं की खरीदारियों पर भुगतान किया गया जी0एस0टी0 आई0टी0सी0 के रूप किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं होगा-


- मोटर गाड़ी एवं अन्य वाहनों के क्रय पर
- खाद्य एवं पेय, वाह्य केंटरिंग (खानपान), स्वास्थ्य सेवाओं पर
- किराए पर कैब (टैक्सी) सेवा पर
- कर्मचारियों के लिए जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर
- अवकाश पर गए कर्मचारियों के यात्रा लाभ पर, जैसे अवकाश या घरेलू यात्रा रियायत पर (LTC)
- किसी अचल सम्पत्ति (Plant & Machinery को छोड़कर) के निर्माण के लिए की गयी खरीदारियों/सेवाओं/वर्क कान्ट्रैक्ट सेवाओं पर

इकाईयाँ/खण्ड उपरोक्त सभी नियमों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे एवं GSTR-2 के लिए Excel प्रारूप भरते समय सूचित करेंगे कि प्रत्येक खरीदारी/सेवाएं उपरोक्त में से किस श्रेणी में आती हैं।

7. विविध बिन्दु :-

- CBDT द्वारा जारी किये गये Circular No. 23/2017 दिनांक 19.07.2017 के अनुसार आयकर के प्रावधानों के अनुसार टी0डी0एस0 की कटौती की जायेगी परन्तु उसमें जी0एस0टी0 की धनराशि जोड़ कर कटौती नहीं की जायेगी। (उक्त Circular की छायाप्रति Annexure E संलग्न है)
- मिश्रित एवं समग्र आपूर्ति (Mixed & Composite Supply) :-
मिश्रित एवं समग्र आपूर्ति पर विस्तृत जानकारी उदाहरण सहित Annexure F में संलग्न है।
- इकाईयाँ/खण्ड एवं कार्यालयों के लिए यह उचित होगा कि निगम का जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन नं0 09AAACU8823E1Z9 निगम के Letter Head पर उल्लिखित किया जायें।

संलग्नक:-यथोपरोक्त



(प्रभात कुमार गुप्ता)
उप महाप्रबन्धक
(कारपोरेट टैक्स)

पत्र सं0: 02/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सैल/2017-18 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
- 2- उप महाप्रबन्धक (लेखा), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारेषण मध्य/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण, लखनऊ/इलाहाबाद/मेरठ/आगरा।
- 3- उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उप महाप्रबन्धक (निधि), उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
- 4- अधिशाषी अभियन्ता, सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, 11वां तल शक्ति भवन विस्तार, को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक:-यथोपरोक्त


(प्रभात कुमार गुप्ता)
उप महाप्रबन्धक
(कारपोरेट टैक्स)

Form GSTR-3B

Name of Unit/ZAO Location Code	Month Year
-----------------------------------	---------------

1. Details of outward supplies and Inward Supplies liable to Reverse Charge

Nature of Supplies	Total Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State Tax	Cess
(a) Outward taxable supplies (other than zero rated, nil rated and exempted)					
(b) Outward taxable supplies (Export, Sale to SEZ)					
(c) Other outward supplies (Nil rated, exempted)					
(d) Inward supplies (liable to reverse charge)					

2. Out of Taxable Supplies Mentioned in point (a) above, details of supplied made to Unregistered Persons, Composition Taxable Persons and UIN Holders.

	Place of Supply (State/UT)	Total Taxable Value	Amount of Integrated Tax
Supplies made to Unregistered Persons			
Supplies made to Composition Taxable Persons			
Supplies made to UIN holders			

3. Eligible ITC-

Details	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess
(A) ITC Available (whether in full or part)				
(1) Import of Goods				
(2) Import of services				
(3) Inward supplies liable to reverse charge (other than 1 & 2 above)				
(4) Inward supplies from ISD				
(5) All other ITC				

4. Value of exempt, Nil rated non-gst inward supply

Nature of Supplies	Inter-State Supplies	Intra-State Supplies
From a supplier under composition scheme, Exempt and Nil rated supply		
Non GST supply		

Note:-

- Under point no 1(a), details to be furnished related to taxable outward supply eg. Sale of tender form, scrap etc for which tax invoice has been issued by the units, divisions.
- Under point no 1(c), details to be furnished related to supply of exempted goods eg. Sale of Electricity, wheeling charges etc for which Bill of Supply has been issued by the units, divisions.
- Under point no 1(d), details to be furnished related to Inward supplies liable to reverse charge eg. Payment made to Advocates, Goods Transport Agencies, Government & Local Authorities (other than tax, cess and levy) and purchases made from unregistered persons.
- Regarding Point 2, following is the meaning of Composition Taxable person and UIN Holders:
 - **Composition Scheme:** It gives an option to a registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed Rs. 75 Lakhs to pay an amount calculated at such rate prescribed instead of tax payable under normal rates. He shall mention the words "composition taxable person, not eligible to collect tax on supplies" at the top of the bill of supply issued by him.
 - **UIN Holders:** Unique Identity Number is issued to foreign diplomatic missions and embassies, which are not liable to taxes in Indian Territory.
- Under point no.3, details to be furnished related to ITC which is available on goods /services directly attributable taxable outward supplies. For reference please refer point 6(b) of these guidelines. ITC related to categories 6(a), 6(c) and 6(d) shall not be included while furnishing the information mentioned under point 3.
- Information to be furnished on aggregate basis for transactions related to GST only. Transactions related to old taxes (ie. Excise, VAT & Service Tax) shall not be included while furnishing above information.
- Soft copy (Excel File) of Form 3B can be downloaded from www.upptcl.org.

(Name of Company) (Address of Unit)	
Company Logo	Tel: GSTIN:
Credit Note	
Document No:	Against invoice:
Date of Issue:	Date of Invoice:
State: Code	
Bill to Party	Ship to Party
Name:	Name:
Address:	Address:
GSTIN:	GSTIN:
State: Code	State: Code
Total	
Total amount in words	
Total Amount before Tax Add: CGST Add: SGST Total Tax Amount Total Amount after Tax:	
Bank Details	Certified that the particulars given above are true and correct For (Name of Company) Authorised signatory
Bank A/C:	
Bank IFSC:	
Terms & conditions	Common Seal

Company Logo	(Name of Company) (Address of Unit)														
	Tel:														
	GSTIN:														
Debit Note															
Document No:		Against invoice:													
Date of Issue:		Date of Invoice:													
State:	Code														
Bill to Party		Ship to Party													
Name:		Name:													
Address:		Address:													
GSTIN:		GSTIN:													
State:	Code	State:													
		Code													
S. No.	Product Description	HSN code	UOM	Qty	Rate	Amount	Discount	Taxable Value	IGST Rate	IGST Amount	CGST Rate	CGST Amount	SGST Rate	SGST Amount	Total
Total															
Total amount in words									Total Amount before Tax						
									Add: CGST						
									Add: SGST						
									Total Tax Amount						
									Total Amount after Tax:						
Bank Details									Certified that the particulars given above are true and correct						
Bank A/C:									For (Name of Company)						
Bank IFSC:									Authorized signatory						
Terms & conditions			Common Seal												

(Name of Company)									
(Address of Unit)									
Company Logo		Tel: _____							
		GSTIN: _____							
Receipt Voucher									
Voucher Number: _____					Details Of Receiver				
Voucher Date: _____					Name: _____				
Place of Supply: _____					Address: _____				
Reverse Charge (Y/N): _____					GSTIN: _____				
State: _____			Code _____		State: _____			Code _____	
Description of Product/Service	HSN Codes	Taxable Value	IGST		CGST		SGST		Total Advance Received
			Rate	Amount	Rate	Amount	Rate	Amount	
Total									
Total Advance Received (In words)									
Certified that the particulars given above are true and correct			Common Seal		Total Amount before tax				
For (Name of Company)					Add: CGST				
					Add: SGST				
Authorised Signatory					Total Tax Amount (GST)				
					Total Amount After Tax				
Authorised Signatory			GST on Reverse Charge						

(Name of Company)											
(Address of Unit)											
Company Logo		Tel: _____									
		GSTIN: _____									
Refund Voucher											
Voucher Number: _____					Details Of Receiver						
Voucher Date: _____					Name: _____						
Against Receipt Voucher No: _____					Address: _____						
Date of Receipt Voucher _____											
Reverse Charge (Y/N): _____					GSTIN: _____						
State: _____			Code _____		State: _____			Code _____			
Description of Product/Service	HSN Codes	Taxable Value	IGST		CGST		SGST		Total Amount Refunded		
			Rate	Amount	Rate	Amount	Rate	Amount			
Total											
Total Amount Refunded (In words)											
Certified that the particulars given above are true and correct			Common Seal			Total Amount before tax					
For (Name of Company)						Add: CGST					
						Add: SGST					
Authorised Signatory						Total Tax Amount (GST)					
						Total Amount After Tax					
			GST on Reverse Charge								

Company Logo	(NAME OF COMPANY) (ADDRESS OF UNIT) Tel: GSTIN:																																																																																																																																																																																																																																																																					
Self Invoice (Purchase Voucher)																																																																																																																																																																																																																																																																						
Voucher No:	Transport Mode:																																																																																																																																																																																																																																																																					
Voucher date:	Vehicle number:																																																																																																																																																																																																																																																																					
Reverse Charge (Y/N):	Date of Supply:																																																																																																																																																																																																																																																																					
State: Code	Place of Supply																																																																																																																																																																																																																																																																					
Bill to Party																																																																																																																																																																																																																																																																						
Name:	Name:																																																																																																																																																																																																																																																																					
Address:	Address:																																																																																																																																																																																																																																																																					
GSTIN:	GSTIN:																																																																																																																																																																																																																																																																					
State: Code	State:																																																																																																																																																																																																																																																																					
Ship to Party																																																																																																																																																																																																																																																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">S. No.</th> <th rowspan="2">Product Description</th> <th rowspan="2">HSN code</th> <th rowspan="2">Qty</th> <th rowspan="2">Rate</th> <th rowspan="2">Amount</th> <th rowspan="2">Discount</th> <th rowspan="2">Taxable Value</th> <th colspan="2">CGST</th> <th colspan="2">SGST</th> <th colspan="2">IGST</th> <th rowspan="2">Total</th> </tr> <tr> <th>Rate</th> <th>Amount</th> <th>Rate</th> <th>Amount</th> <th>Rate</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total</td> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </tbody> </table>		S. No.	Product Description	HSN code	Qty	Rate	Amount	Discount	Taxable Value	CGST		SGST		IGST		Total	Rate	Amount	Rate	Amount	Rate	Amount																																																																																																																																																																																																																																		Total														
S. No.	Product Description									HSN code	Qty	Rate	Amount	Discount	Taxable Value		CGST		SGST		IGST		Total																																																																																																																																																																																																																																															
		Rate	Amount	Rate	Amount	Rate	Amount																																																																																																																																																																																																																																																															
Total																																																																																																																																																																																																																																																																						
Total amount in words																																																																																																																																																																																																																																																																						
Certified that the particulars given above are true and correct For (Name of Company) Authorised signatory	Total Amount before Tax Add: CGST Add: SGST Total Tax Amount Total Amount after Tax: GST on Reverse Charge																																																																																																																																																																																																																																																																					

(NAME OF COMPANY) (ADDRESS OF UNIT)	
Company Logo	Tel: GSTIN:
Payment Voucher	
Voucher Number:	
Details Of Supplier	
Voucher Date:	Name:
Place of Supply:	Address:
	GSTIN:
State:	State:
Code	Code
Description of Product/Service	HSN Codes
Taxable Value	IGST
	CGST
	SGST
	Total Amount Paid
	Rate
	Amount
	Rate
	Amount
	Rate
	Amount
Total	
Total Amount paid (In words)	
<small>Certified that the particulars given above are true and correct</small> For (Name of Company)	Total Amount before tax
	Add: CGST
	Add: SGST
	Total Tax Amount (GST)
Authorised Signatory	Total Amount After Tax
Common Seal	

CIRCULAR No. 23 / 2017

F. No. 275/59/2012-IT (B)
Government of India/ भारत सरकार
Ministry of Finance/ वित्त मंत्रालय
Department of Revenue/ राजस्व विभाग
Central Board of Direct Taxes/ (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

North Block, New Delhi
19th July, 2017

Subject: Modification of Circular No. 1 of 2014 in view of substitution of Service Tax by Goods and Services Tax (GST).

The Central Board of Direct Taxes (the Board) had earlier issued Circular No. 1/2014 dated 13.01.2014 clarifying that wherever in terms of the agreement or contract between the payer and the payee, the Service Tax component comprised in the amount payable to a resident is indicated separately, tax shall be deducted at source under Chapter XVII-B of the Income-tax Act, 1961 (the Act) on the amount paid or payable without including such Service Tax component.

2. References have been received in the Board seeking clarification as to what treatment would be required to be given to the component of Goods and Services Tax (GST) on services, which has been introduced by the Government with effect from 1st of July, 2017 and into which the erstwhile Service Tax has been subsumed.

3. The matter has been examined. It is noted that the Government has brought in force a new Goods and Services Tax regime with effect from 01.07.2017 replacing, amongst others, the Service Tax which was being charged prior to this date as per the provisions of Finance Act, 1994. Therefore, there is a need to harmonize the contents of Circular No.1/ 2014 of the Board with the new system for taxation of services under the GST regime.

4. In the light of the fact that even under the new GST regime, the rationale of excluding the tax component from the purview of TDS remains valid, the Board hereby clarifies that wherever in terms of the agreement or contract between the payer and the payee, the component of 'GST on services' comprised in the amount payable to a resident is indicated separately, tax shall be deducted at source under Chapter XVII-B of the Act on the amount paid or payable without including such 'GST on services' component. GST for these purposes shall include Integrated Goods and Services Tax, Central Goods and Services Tax, State Goods and Services Tax and Union Territory Goods and Services Tax.

5. For the purposes of this Circular, any reference to 'service tax' in an existing agreement or contract which was entered prior to 01.07.2017 shall be treated as 'GST on services' with respect to the period from 01.07.2017 onward till the expiry of such agreement or contract.

6. Hindi version shall follow.



(Sandeep Singh)

Under Secretary to the Government of India

Tele: 23094182

Email: Sandeep.singh68@nic.in

Copy to:

1. Chairman and all Members of CBDT.
2. All Principal Chief Commissioners and Principal Directors General of Income Tax.
3. Pr. DGIT (Systems) and Pr. DGIT (Admin.).
4. All Joint Secretaries and Commissioners in CBDT.
5. Additional Directors General (TPS-I) and (PR,PP&OL).
6. Commissioner (CPC-TDS).
7. Web Managers of irsolicersonline.gov.in and incometaxindia.gov.in for placing the Circular on the respective portal.
8. Office of Comptroller & Auditor General of India (30 copies).
9. Guard file.

जीएसटी में मिश्रित और समग्र आपूर्ति को समझना

यदि आप आज बाजार को देखते हैं तो आप कई बार दो या दो से अधिक सामान या माल और सेवाओं का संयोजन देखेंगे जिनकी साथ-साथ आपूर्ति की जाती है। यह निम्न कारणों से हो सकता है:

- बिक्री रणनीति – अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए
- वस्तुओं या सेवाओं की प्रकृति या प्रकार, जिसके लिए उन्हें एक साथ बंडल या आपूर्ति की आवश्यकता है।
सेवा कर के तहत इस तंत्र को बंडल सेवा कहा जाता है – जो कि सेवाओं की सेवा के अन्य तत्वों के साथ सेवा या सेवाओं का प्रस्तुतीकरण है।
संशोधित मॉडल ड्राफ्ट जीएसटी कानून के अंतर्गत दो या अधिक माल या सेवाओं के आपूर्ति या माल और सेवाओं के संयोजन के साथ बंडल किए गए आपूर्ति को विशिष्ट विशेषताओं के साथ वर्गीकृत किया जाता है:
- मिश्रित आपूर्ति
- समग्र आपूर्ति

मिश्रित आपूर्ति

माल या सेवाओं की दो या अधिक वैयक्तिक या माल और सेवाओं के किसी भी संयोजन की आपूर्ति को एक मूल्य के लिए कर योग्य व्यक्ति द्वारा मिश्रित आपूर्ति कहा जाता है।

मिश्रित आपूर्ति में वस्तुओं और/या सेवाओं का संयोजन प्राकृतिक आवश्यकताओं के कारण बंडल नहीं किया जाता है और उनकी सामान्य व्यापार में व्यक्तिगत तौर पर आपूर्ति की जा सकती है।

मिश्रित आपूर्ति का निर्धारण करना

आइए हम एक उदाहरण के साथ इसे समझें।

एक किट पर विचार करें जिसमें एक टाई, एक घड़ी, एक बटुआ और एक कलम शामिल है जो 4,500 रूपए के लिए है तथा कॉम्बो के रूप में है:

उदाहरण के अनुसार,

- टाई, घड़ी, वॉलेट, और कलम को एक किट के रूप में बंडल किया जाता है
- एक टाई की आपूर्ति स्वाभाविक रूप से अन्य तत्वों (घड़ी, बटुआ, कलम) की आपूर्ति को आवश्यक नहीं बनाता है और इसके विपरीत भी उतना ही सही है।
- प्रथम मूल्य के लिए किट की आपूर्ति की जाती है।
इसलिए, इस किट की आपूर्ति मिश्रित आपूर्ति है।

मिश्रित आपूर्ति पर कर दायित्व

माल और सेवाओं के संयोजन में मिश्रित आपूर्ति पर कर दायित्व की गणना के लिए उच्चतम दर के टैक्स को आकर्षित करने वाली वस्तुओं या सेवाओं पर लागू कर की दर पर विचार किया जाएगा।

हम फिर से किट के उदाहरण पर विचार करते हैं।

उत्पाद	टैक्स की दर *
टाई	12%
घड़ी	18%
बटुआ	12%
कलम	5%

* सांकेतिक दरें

इस मामले में घड़ी मिश्रित आपूर्ति में उच्चतम कर की दर को आकर्षित करती है अर्थात् 18%। इसलिए मिश्रित आपूर्ति पर 18% कर लगाया जायेगा

समग्र आपूर्ति

वस्तुओं और सेवाओं की समग्र आपूर्ति एक कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्तकर्ता को की जाती है, और:

- इसमें सामान या सेवाओं की दो या अधिक आपूर्तियां शामिल हैं, या
- सामान्य व्यापार में माल और सेवाओं का संयोजन जिनकी स्वाभाविक रूप से बंडल और आपूर्ति की जाती हैं।

इसका मतलब यह है कि प्राकृतिक जरूरतों के कारण सामान और सेवाएं बंडल किया जा रहा है। वस्तुओं और सेवाओं की समग्र आपूर्ति में तत्व वस्तुओं या सेवाओं के 'प्रमुख आपूर्ति' पर निर्भर तत्व हैं।

मुख्य आपूर्ति क्या है?

वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति में पूर्व-प्रभावी तत्व, जो समग्र आपूर्ति बनाते हैं, मुख्य आपूर्ति हैं और अन्य निर्भर आपूर्ति, जो समग्र आपूर्ति का हिस्सा बनती हैं, मुख्य आपूर्ति के लिए द्वितीयक होती हैं।

समग्र आपूर्ति का निर्धारण

हम एक उदाहरण के साथ इसे समझते हैं।

मुंबई में एक 5-सितारा होटल 4 दिन/3 रातों का पैकेज नाश्ते के साथ प्रदान करता है। यह सुविधाओं के पैकेज के तौर पर एक समग्र आपूर्ति है और नाश्ता एक होटल के लिए सामान्य व्यापार में प्राकृतिक संयोजन है। इस मामले में होटल आवास प्रमुख आपूर्ति है और नाश्ता होटल के आवास के लिए सहायक है।² मुंबई में 5 सितारा होटल नाश्ता और एक दिन मुंबई दर्शन के साथ एक 4 दिन / 3 रातों का पैकेज प्रदान करता है। इस पैकेज में मुंबई दर्शन को शामिल करना होटल में आवास की स्वाभाविक आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह समग्र आपूर्ति नहीं कहलाती है। यह मिश्रित आपूर्ति है।³ बैग के साथ लैपटॉप की बिक्री- यह एक समग्र आपूर्ति है क्योंकि लैपटॉप ले जाने के लिए बैग प्राकृतिक आवश्यकता है। लेकिन अगर ग्राहक पिटू बैग जैसे बहुउद्देशीय बैग का विकल्प चुनते हैं तो यह एक समग्र आपूर्ति नहीं है क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से बंडल नहीं है।

समग्र आपूर्ति का कर दायित्व

टैक्स देयता की गणना के उद्देश्य के लिए ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की मुख्य आपूर्ति पर लागू कर की दर समग्र आपूर्ति पर लागू होगी। आइए हम एक ही उदाहरण पर विचार करें,

मुंबई में एक 5 सितारा होटल नाश्ते के साथ 4 दिन / 3 रातों का पैकेज प्रदान करता है। मान लीजिए, होटल के आवास में 18% टैक्स और रेस्टोरेंट सेवा 12% कर आकर्षित करती है।

उदाहरण के अनुसार होटल आवास की प्रमुख आपूर्ति है और संपूर्ण आपूर्ति पर 18% कर आरोपित है।

व्यवसायों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मिश्रित आपूर्ति और समग्र आपूर्ति की अवधारणाओं के संदर्भ में माल और सेवाओं को तैयार करने के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए आपूर्ति के प्रकार और उनके पुनः आकलन को देखें |